रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 25, 2001/कार्तिक 3, 1923
No. 543] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 25, 2001/KARTIKA 3, 1923

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2001

सा.का.नि. 801 (अ).—संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति, उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए, जिसकी राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा उक्त धारा की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अनुमोदन और पुष्टि कर दी गई है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता) (संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता) नियम, 1986 के नियम 2 में "आठ हजार रुपए प्रति मास" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपए प्रति मास" शब्द रखे जाएंगे।

[सं. आरएस. 8/2001-02/एम.एस.ए.]
आर.सी. त्रिपाठी, महासचिव

पाद टिप्पण:— मूल नियम सा. का. नि. 14 (अ) तारीख 3-1-1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सा.का.नि. 542(अ) तारीख 31-8-1998 द्वारा किया गया था।

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi the 25th October, 2001

G.S.R. 801(E).— In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), the Joint Committee constituted under sub-section (1) of that section, after consultation with the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Members of Parliament (Constituency Allowance) Rules, 1986, the same having been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required under sub-section (4) of the said Section, namely :—

1. (1) These rules may be called the Members of Parliament (Constituency Allowance) (Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Members of Parliament (Constituency Allowance) Rules, 1986 for the words "eight thousand per mensem", the words "ten thousand per mensem" shall be substituted.

[No. R. S. 8/2001-02/MSA]

R.C. TRIPATHI, Secretary-General

Foot Note:— The principal rules were published vide G.S.R 14(E) dated 3.1.1986 and last amended vide notification G.S.R 542(E) dated 31.8.1998.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2001

सा.का.नि. 802 (अ).—संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति, उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, संसद सदस्य (कार्यालय व्यय भत्ता) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए, जिसकी राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा उक्त धारा की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अनुमोदन और पुष्टि कर दी गई है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद सदस्य (कार्यालय व्यय भत्ता) (संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संसद सदस्य (कार्यालय व्यय भता) नियम, 1988 के नियम 3 में—

(क) "नौ हजार पांच रुपए प्रति मास" शब्दों के स्थान पर "चौदह हजार रुपए प्रति मास" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "दो हजार पांच सौ रुपए" और "छह हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर क्रमश: "तीन हजार रुपए" और "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

[सं. आरएस. 8/2001-02/एम.एस.ए.]

आर.सी. त्रिपाठी, महासचिव

पाद टिप्पण:— तारीख 1-4-1988 से प्रवृत्त होने वाले मूल नियम सा. का. नि. 1098 (अ) तारीख 25-11-1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सा.का.नि. 452(अ) तारीख 13-5-2000 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2001

G.S.R. 802(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), the Joint Committee constituted under sub-section (1) of that section, after consultation with the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Members of Parliament (Office Expense Allowance) Rules, 1988, the same having been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required under sub-section (4) of the said section, namely:—

1. (1) These rules may be called the Members of Parliament (Office Expense Allowance) (Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 3 of the Members of Parliament (Office Expense Allowance) Rules, 1988 :—

(a) for the words "rupees nine thousand five hundred per mensem", the words "rupees fourteen thousand per mensem" shall be substituted.

(b) for the words "rupees two thousand five hundred" and "rupees six thousand", the words "rupees three thousand" and "rupees ten thousand" shall respectively be substituted.

[No. RS.8/2001-02/MSA]

R. C. TRIPATHI, Secretary-General

Foot Note:— The principal rules were published vide G.S.R. 1098(E) dated 25-11-1988 effective from 1-4-1988 and last amended vide notification G.S.R 452(E) dated 13-5-2000.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2001

सा.का.नि. 803 (अ).—संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति, उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए, जिसकी राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा उक्त धारा की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अनुमोदन और पुष्टि कर दी गई है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) (संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (2) में—

(i) "25,000" अंकों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर जहां-जहां ये आते हैं, "50,000" अंक रखे जाएंगे ;

(ii) "12,500" अंकों के स्थान पर "25,000" अंक रखे जाएंगे ;

(iii) "2,000" अंकों के स्थान पर "4,000" अंक रखे जाएंगे।

3. (i) मूल नियमों के नियम 4 के उपनियम (3) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि उस सदस्य के लिए जिसका निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली से 1,000 कि.मी. से अधिक दूर है, उपनियम (1) और उप-नियम (3) के अधीन लगाए गए प्रत्येक टेलीफोन पर 10,000 अतिरिक्त टेलीफोन कॉल अनुज्ञेय होगी।"

(ii) उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(6) ऐसे एक मोबाइल फोन के रजिस्ट्रीकरण और किराया प्रभार के संबंध में किसी सदस्य द्वारा कोई प्रभार संदेय नहीं होगा, जो उसके अनुरोध पर महानगर टेलीफोन निगम लि., नई दिल्ली द्वारा दिया गया है:

परन्तु यह कि ऐसे मोबाइल फोन से किसी सदस्य द्वारा किए गए कॉलों को उन कुल एक लाख मुफ्त स्थानीय कॉलों में से समायोजित किया जाएगा, जो उसे उपनियम (1) और उपनियम (3) के अधीन उपलब्ध हैं।"

[सं. आरएस. 8/2001-02/एम.एस.ए.]

आर.सी. त्रिपाठी, महा-सचिव

पाद टिप्पण:— मूल नियम का.नि.आ. 1972 तारीख 8-5-1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सा.का.नि. 450(अ) तारीख 13-5-2000 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2001

G.S.R. 803(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), the Joint Committee constituted under sub-section (1) of that section, after consultation with the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956, the same having been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required under sub-section (4) of the said section, namely :—

1. (1) These rules may be called the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) (Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956, (hereinafter referred to as the principal rules), in sub-rule (2) —

(i) for the figures "25,000" at both the places where they occur; the figures "50,000" shall be substituted;

(ii) for the figure "12,500", the figure "25,000" shall be substituted;

(iii) For the figure "2000", the figure "4000" shall be substituted.

3. (i) In rule 4 of the principal rules, after proviso to sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that. 10,000 additional telephone calls each shall be allowed on the telephones installed under sub-rule (1) and sub-rule (3) to the member, whose constituency is 1,000 kilometres away from Delhi."

(ii) After sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(6) No charges shall be payable by a Member in respect of the registration and rental charges of one mobile phone provided by the Mahanagar Telephone Nigam Limited, New Delhi on his request:

Provided that the calls made by a Member from such mobile phone shall be adjusted from the total of one lakh free local calls available to him under sub-rule (1) and sub-rule (3)."

[No. RS.8/2001-02/MSA]

R.C. TRIPATHI, Secretary-General

Foot Note:—The principal rules were published vide S.R.O.1972 dated 8-5-1956 and last amended vide notification G.S.R. 450(E) dated 13-5-2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.